

## कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू (राजस्थान)

क्रमांक/स्थापना/2014/359

दिनांक: 15.07.2014

### विज्ञप्ति

न्यायक्षेत्र झुंझुनू में वर्तमान में अस्थाई वाहन चालक के कुल 01 पद (सामान्य वर्ग) का रिक्त है जिसके लिये राजस्थान (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के अन्तर्गत इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों एवं इस संबंध में प्रभावी नियमों व परिपत्रों के अनुसार सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक कारणों से घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

परिवीक्षाकाल में मानदेय राजस्थान सरकार की अधिसूचना एफ14(1) एफडी (रूल्स)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 के अनुसार दो वर्ष तक नियमित पारिश्रमिक 7900/- रूपये मासिक देय होगा।

दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात् ही अभ्यर्थी का कार्यकाल बढ़ाया जायेगा एवं नियमित वेतन श्रृंखला पे बैंड पी. बी. । 5200-20200 ग्रेड पे 2400/-रूपये प्रतिमाह देय होगा।

साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ015(7) एफ0डी0 (रूल्स)/97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ0 12(8)एफ0डी0 (रूल्स)/05 दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेण्डेण्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण सम्बन्धी सभी नये नियम लागू होंगे।

#### **1. नागरिकता :-**

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन हो या उक्त नियमों के नियम-11 के अनुसार अर्हता प्राप्त हो।

#### **2. आयु :-**

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

#### **3. शैक्षणिक योग्यता :-**

उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

#### **4. पात्रता :-**

- I. आवेदक के पास भारी/हल्के वाहन चलाने का लाईसेंस होना चाहिए तथा वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- II. आवेदक का वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।
- III. आवेदक की दृष्टि चश्मे से या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए।
- IV. आवेदक को मार्ग में वाहन को मरम्मत करने की जानकारी तथा ड्राईविंग में दक्षता होनी चाहिए तथा वाहन के बारे में साधारण तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है।

#### **5. शारीरिक योग्यता :-**

अभ्यर्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

## 6. चरित्र :-

आवेदक को अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आवेदक के रिश्तेदार न हो एवं छः माह से अधिक पुराने नहीं हों, भी आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

## 7. नियुक्ति के लिए निरर्हता :-

- i. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी दिनांक 01.06.2002 या उसके पश्चात 02 से अधिक सन्ताने है।
- ii. कोई भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियों/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे देवे।
- iii. कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

8. विवाहित स्त्री/पुरुष आवेदन-पत्र में अपने पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करे तथा जिन आशार्थियों का विवाह 22.05.2006 या इसके पश्चात् हुआ है, वे विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें तथा दिनांक 22.05.2006 के पूर्व विवाहित हुए अथवा अविवाहित आशार्थी निर्धारित में शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।

9. प्रत्येक आवेदक आवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दण्डित मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि लम्बित है तो उसका विवरण शपथ-पत्र में प्रस्तुत करेगा।

जो आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को उत्तीर्ण कराने के प्रयास करेगा, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

## 10. आवेदन-पत्र :-

अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखनी से लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता तथा आरक्षित वर्ग का नाम का उल्लेख हो तथा नियोजन कार्यालय का पंजीयन क्रमांक व वैधता की अवधि अंकित हो। प्रार्थना-पत्र पर अपना स्वयं का हस्ताक्षरित फोटोग्राफ, जो सत्यापित हो, चस्पा किया जावे। प्रार्थना-पत्र के अन्त में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। इस विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका प्रार्थना-पत्र में उल्लेख करे। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रेषित करे।

## 11. आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि :-

आवेदन-पत्र दिनांक 07.08.2014 को सांय 5.00 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। उपरोक्त अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जायेगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र, वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों, आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर एवं अन्य किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा व इसकी अलग से कोई सूचना आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी।

## 12. चयन प्रक्रिया :-

ड्राईवर के पद पर वांछित पात्रता प्राप्त आवेदकों में से चयन साक्षात्कार एवं ट्रेड टैस्ट के प्राप्तियों के आधार पर किया जायेगा । साक्षात्कार एवं ट्रेड टैस्ट दिनांक 31.08.2014 को प्रातः 10.30 बजे से जिला एवं सेशन न्यायालय झुंझुनूं परिसर में लिया जायेगा जिसके लिए पात्र आवेदकों की सूची दिनांक 18.08.2014 को जिला एवं सेशन न्यायालय झुंझुनूं के सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी । इस हेतु अलग से कोई सूचना आवेदकों को नहीं दी जावेगी । साक्षात्कार व ट्रेड टैस्ट के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है । आवेदक को साक्षात्कार एवं ट्रेड टैस्ट के समय समस्त मूल दस्तावेज साथ में लाना आवश्यक है ।

भर्ती नियमों में वांछित पात्रता पूर्ण करने पर ही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र होगा । पात्रता के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा ।

## 13. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें :-

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतियां ।
2. आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ।
3. जिस शैक्षणिक संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रूप में अंतिम शिक्षा ग्रहण की है उस विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि ।
4. अन्य दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जो आवेदक के रिश्तेदार न हो) के मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने न हो ।
5. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगावे, जो सत्यापित हो ।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ।
7. यदि आवेदक अविवाहित है या उसका विवाह दिनांक 22.05.2006 से पूर्व हुआ है तो उसे इस आशय का शपथ पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर संलग्न करना होगा । जिन आवेदकों का विवाह दिनांक 22.05.2006 को या इसके बाद हुआ है, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी ।
8. आवेदक को 10/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर (नोटेरी द्वारा नियमानुसार सत्यापित किया हुआ हो) यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात उसके दो से अधिक सन्तान नहीं है ।
9. विवाहित आवेदक दहेज नहीं लेने सम्बन्धी घोषण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करे ।
10. राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष की स्वीकृति पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करे या आवेदन-पत्र अग्रेषित कराकर प्रेषित करे ।
11. नियोजन कार्यालय के नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति ।
12. ड्राइविंग लाईसेंस की सत्यापित प्रतिलिपि ।
13. आवेदक सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत करें कि वह वाहन चालन हेतु शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम है व उसकी दृष्टि चश्मे से या बिना चश्मे से 6/6 है ।
14. किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किये जाने अथवा अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं होने और यदि लम्बित है तो उसका विवरण शपथ-पत्र में प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन किये जाने पर उसकी सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, झुंझुनू के सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी, किसी भी अभ्यर्थी को अलग से इसकी सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

--sd--  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
झुंझुनू

क्रमांक :- 360-417

दिनांक :- 15.07.2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश (समस्त)..... (राजस्थान)
4. जिला कलेक्टर, झुंझुनू
5. जिला नियोजन अधिकारी, झुंझुनू
6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुंझुनू
7. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, झुंझुनू
8. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, झुंझुनू न्यायक्षेत्र नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
9. सूचना पट्ट जिला एवं सेशन न्यायालय, झुंझुनू
10. कार्यालय प्रति

--sd--  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
झुंझुनू

वाहन चालक के पद हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का  
पासपोर्ट  
साइज फोटो

1. नाम अभ्यर्थी .....
2. पिता का नाम .....
3. माता का नाम .....
4. पति/पत्नी का नाम .....
5. राष्ट्रीयता .....
6. जन्म तिथि दिनांक .....माह.....वर्ष.....  
शब्दों में .....
7. जाति :- अभ्यर्थी जिस वर्ग का सदस्य है, उस पर सही (√)का निशान करें ।  
सामान्य/अजा./अजजा./अपिव./भूपूसै./महिला/विधवा/परित्यक्ता
8. वर्तमान पता :-.....  
.....
9. स्थायी पता :- .....
- .....
10. शैक्षणिक योग्यता .....
11. चालक अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि दिनांक.....
12. वर्तमान में सेवारत है तो :-  
पद.....नियुक्ति दिनांक..... विभाग.....
13. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम .....
14. विवाह की दिनांक .....
15. जीवित संतानों की संख्या .....
16. वाहन चालन का अनुभव (विशिष्टियों सहित) यदि हो तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।
17. संलग्न दस्तावेज :

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

दिनांक

हस्ताक्षर प्रार्थी मय नाम